

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/जोन-कोटा/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री हरीश कुमार, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छीपाबडोद, बारां जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 25.06.2009 है, को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 25.06.2018 से पे मेट्रिक्स के लेवल-6 में एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक - 10/06/19

क्रमांक - ई-18/एम/जोन-कोटा/2019/1245

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को भेजकर लेख है कि बिना समीक्षक प्राधिकारी के हस्ताक्षर के एसीआर निदेशालय को भिजवाये जाने के कारणों से स्पष्ट करें एवं कर्मचारी की मूल एसीआर वर्ष 2011-12 से 2017-18 संलग्न कर पुनः भिजवायी जा रही है (संलग्न-उपरोक्तानुसार।)
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छीपाबडोद, बारां।
3. श्री हरीश कुमार, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर